न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी राजगढ़(अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार (R.A.S)

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत तिलवाड़

वाद संख्या 2 / 35 / 2017

अनुवान

1.लड्डो देवी पुत्री सालगाा पत्नी श्री सुखराम जाति कोली निवासी ककराली रामपुरा तहसील राजगढ़ ...प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय अलवर

2.तहसीलदार राजगढ़ .... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

दिनांक 22.05.2018

आज यह पत्रावली कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत तिलवाड़ पर वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से पेश हुई ।प्राथी द्वारा ´ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि साबिक आराजी खसरा संख्या 1006 वाके ग्राम ककराली रामपुर तहसील राजगढ़ में सिवायचक भूमि का बड़ा नम्बर था जिसमें से प्रार्थिनि के पिता सालगा को 5 बीधा भूमि आवटन की गई थी जिस पर दखल दी गई तथा गैर खातेदारी का नामंतकरण संख्या 48 दर्ज हुआ। आराजी पर प्रार्थिनि के पिता व प्रार्थिनि का कब्जा काश्त चला आ रहा है। बंदोबस्त सम्वंत 2046 में नवीन नम्बर 843 रकबा 3.78 हैक0 कायम कर आराजी को चारागाह दर्ज कर दी गई। अब अप्रार्थी गण उक्त गलत इन्द्राज की आढ में प्रार्थिनि को बेदखल करना चाहता है तथा कार्य काश्त में रूकावट मजाहमत करते है यदि उनके द्वारा ऐसा किया गया तो प्रार्थिनि को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को अंतरिम अस्थाई निषेधाझा से पाबंद करने का निवेदन किया कि वो आराजी विवादित से प्रार्थिनि को बेदखल नही करे तथा कार्यकाश्त प्रार्थिनि में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करे।

प्राथना पत्र प्रार्थिनि दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यों को अस्वीकार करतें हुए निवेदन किया कि आराजी विवादित हाल रिकार्ड में चारागाह दर्ज है प्रार्थी अतिक्रमी है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा सही इन्द्राज किया गया है। प्रार्थिनी का आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है।इसलिए प्रार्थिनी को कोई नापूर्ती होने वाली क्षति नहीं है। प्रार्थिनी आराजी की खातेदार भी नहीं है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी अस्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

मैनें पत्रावली का कैम्प कोर्ट तिलवाड़ पर स्वप्रेरणा से निर्णय हेतु अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संम्वत 2066–69 वाके ग्राम ककराली रामपुरा के अंकित इन्द्राज के अनुसार हाल आराजी खसरा न0 843 / 3.78 हैक0 चारागाह दर्ज है।जैसा कि तहसीलदार राजगढ़ द्वारा अपने जवाब में भी अंकित किया है कि चारागाह भूमि होने के कारण अतिक्रमी के विरूद्ध उन्हें आराजी से बेदखल करने का कानूनी अधिकार है मुताबिक जमाबंदीजमाबंदी संम्वत 2066–69 वाके ग्राम ककराली रामपुरा के अंकित इन्द्राज के अनुसार हाल आराजी खसरा न0 843 / 3.78 हैक0 चारागाह दर्ज होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थिनी के पक्ष में साबित नहीं है। तथा चारागाह भूमि पर कब्जा काश्त करने का भी प्रार्थिनी को अधिकार साबित नहीं है यदि चारागाह भूमि से प्रार्थिनी को अप्रार्थी द्वारा बेदखल किया जाता है तो प्रार्थिनी को नापूर्ति होने वाली क्षति भी साबित नही है।अतः प्राथना पत्र प्रार्थिनी काबिल स्वीकार योग्य नहीं है। अतः आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी अंतर्गत धार 212 आरटी एक्ट हाल खसरा न0 843/3.78 हैक0 वाके ग्राम ककराली रामपुरा तहसील राजगढ़ मे से 1.25 हैक्टेयर भूमि से संबंधित प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली न0 से कम होकर मूल वाद के संलग्न हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को लिखाया जाकर कैम्प कोर्ट तिलवाड़ पर सुनाया गया।

(पवन कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
कैम्प कोर्ट तिलवाड़